

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

(कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना के अन्तर्गत कृषकों को फसली ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु)

आवेदन पत्र

श्रीमान शाखा प्रबन्धक,
झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
शाखा

आवेदक का
फोटो

सह आवेदक
का फोटो

1. आवेदक/को का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पूरा पता :
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति
जिनका आवेदक सदस्य है :
(सदस्यता एवं हिस्सा राशि जमा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. शाखा में चालू/बचत खाता सम्बन्धी विवरण :-
खाता खुलवाने की दिनांक - खाता संख्या - जमा राशि
6. अन्य बैंक में चालू/बचत खाता सम्बन्धी विवरण :-
खाता खुलवाने की दिनांक - खाता संख्या - जमा राशि
7. चाही गयी ऋण सुविधा -
8. साख सीमा की अवधि -
9. ऋण पेटे बंधक रखी जाने वाली कृषि भूमि का विवरण - दिनांक को जारी भूमि
खातेदारी प्रमाण पत्र, गिरदावरी एवं नक्शा तथा जमाबंदी के विवरण के अनुसार कृषि भूमि ऋण पेटे
बंधक रखी जावेगी।
10. उत्पादित फसलों संबंधी विवरण - संलग्न खसरा गिरदावरी रिपोर्ट तथा मौसम आधारित जिलों में
बोये जाने वाले अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है।
11. गारन्टी देने वाले व्यक्तियों का नाम, पता तथा अन्य विवरण :-
(1) श्री (2) श्री
पता पता
कुल साधन व सम्पत्ति -
दायित्व
शुद्ध सम्पत्ति

उपरोक्त के संबंध में मैं/हम घोषणा करते है कि :-

1. मैं/हमने झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू से ऋण योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के
ऋण आवश्यकता के मद में दर्शायी गई राशि हेतु आवेदन किया है। मैं/हम घोषणा करते है कि
उपरोक्त ऋण आवेदन पत्र मे दी गयी समस्त जानकारी, विवरण तथा दस्तावेज जो ऋण अथवा
वित्तीय सहायता की प्राप्ति के लिए बैंक को दिये गये है, मेरी/हमारी जानकारी व विश्वास में पूर्णतः
सत्य एवं सही है, तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बैंक ऋण
स्वीकृत करने का निर्णय ले सकता है।
2. मेरे/हमारे विरुद्ध पूर्व में दिवालियापन की कोई कार्यवाही नहीं हुई है एवं ना ही मैं/हम दिवालिया
घोषित किये गये है। मेरे द्वारा ऋण योजना के समस्त नियमों, प्रावधानों एवं शर्तों (Rules,

Provisions and conditions) को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। उपरोक्त शर्तें मुझे/हमें मान्य है। मुझे/हमे यह भी ज्ञात है कि मेरे/हमारे द्वारा लिये गये ऋण की वापसी भुगतान की किशते मूल ऋण एवं ब्याज सम्मिलित कर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर गणना कर बनाई गई है। जिसमें समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार बैंक में निहित है। यदि बैंक द्वारा भविष्य में इस योजना की विभिन्न शर्तों यथा ब्याज दर, ब्याज दर गणना विधि, ऋण पुर्नभुगतान तिथि आदि में कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन किया जाता है तो वह मुझे/हमें मान्य होगा तथा मेरी/हमारी पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी।

3. ऋण स्वीकृति उपरांत पूर्ति किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों एवं दस्तावेजों पर होने वाले समस्त व्यय के चुकारे हेतु मै/हम स्वयं एवं मेरे/हमारे जमानतदार बाध्य होंगे।
4. मै/हम इस बात से सहमत है कि झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू को अपने स्तर से आवेदन पत्र में आवश्यक तथ्य अंकित करने का पूर्ण अधिकार है। मेरे/हमारे पते, व्यवसाय, नियोक्ता आदि में परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करने की मेरी/हमारी जिम्मेदारी है एवं झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाएँ सही नहीं होने की स्थिति में मेरे/हमारे ऋण आवेदन पत्र में चाही गयी ऋण राशि में बिना कारण बताये कमी करने/ऋण आवेदन पत्र को रद्द करने का पूर्ण अधिकार झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू में निहित होगा। मै/हम यह भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि का लेने-देन झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू के ऋण अग्रिम हेतु समय-समय पर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत होगा।
5. मेरे/हमारे प्रार्थना-पत्र के संबंध में जो भी सूचना आप द्वारा चाही जावेगी, प्रस्तुत करूंगा/करूगी/करेंगे। मै/हम एतद्द्वारा बैंक को अधिकार देता/देती/देते है कि बैंक को आवश्यक अथवा इच्छित होने पर अन्य एजेन्सी को ऐसी सूचना/ऋण खातों के संबंध में सूचना उपलब्ध करा सकेंगे तथा आप द्वारा एवं आपके प्रतिनिधि, शीर्ष सहकारी बैंक, नाबार्ड सहकारी विभाग या अन्य कोई एजेन्सी जिन्हे आप अधिकृत करे, मेरे/हमारी सम्पतियां, उपरोक्त ऋण से अर्जित/सृजित सम्पतियों तथा लेखा पुस्तिकाओं का किसी भी समय निरीक्षण सत्यापन मूल्यांकन कर सकते है।
6. मै/हम एतद् घोषणा करता हूं/करती हूं/करते है कि आवेदन की तिथि को मेरी और किसी अन्य एजेन्सी/वित्तीय संस्था का ऋण बकाया नहीं है। यदि मेरे द्वारा लिये गये बाहरी ऋणों के संबंध में की गयी उपरोक्त घोषणा में तथ्यों की असत्यता साबित होती है तो मुझे बैंक से कोई ऋण सुविधा लेने के संबंध में अयोग्य ठहराये जाने हेतु उचित निर्णय लेने का पूर्णत अधिकार झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू में निहित होगा।

हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त दी गयी जानकारी सत्य है। कृपया हमे उपरोक्तानुसार ऋण की राशि रु. (अक्षरे)
मात्र स्वीकृत करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर सह आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पता

हस्ताक्षर सत्यापित

भवदीय

हस्ताक्षर

शाखा प्रबन्धक

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

.....

.....

.....

.....

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

शाखा

जाँच विवरणिका ऋण योजना

- 1 शाखा में आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक
- 2 सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक को रिपोर्ट हेतु सुपुर्दगी दिनांक
- 3 सहा. अधि. अधि./ऋण पर्यवेक्षक द्वारा रिपोर्ट करके शाखा में सुपुर्दगी दिनांक
- 4 ऋण आवेदक का नाम पिता का नाम
- जाति व गांव का नाम
- 5 ऋण का उद्देश्य
- 6 अचल सम्पत्ति का विवरण
-
- 7 आय के स्रोत/व्यवसाय
- 8 सम्पत्ति का मूल्यांकन एवं मूल्यांकन का आधार
- 9 साख सीमा/टर्म ऋण का आंकलन
- 10 ऋण पर्यवेक्षक/सहा. अधि. अधि. द्वारा सिफारिश –
 - (1) मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करली गयी है तथा सभी तथ्य सही पाये गये हैं।
 - (2) आवेदक की सामाजिक साख एवं प्रतिष्ठा अच्छी है। प्रतिष्ठा एवं साख की जानकारी निम्न व्यक्तियों/स्रोतों से पता की गयी है।
 - (3) आवेदक/को द्वारा ऋण सुरक्षा पेटे रहन रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति/कृषि भूमि आवेदक/को के वास्तविक कब्जे में है उक्त अचल सम्पत्ति विवादरहित है तथा जरूरत पड़ने पर आसानी से विक्रय योग्य/मुक्त बेचान संभव है। उक्त सम्पत्ति की कीमत ऋण सुरक्षा पेटे पर्याप्त है।
 - (4) आवेदक उपरोक्त योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति हेतु पूर्णतया पात्रता रखता है।
 - (5) आवेदक द्वारा मांग की गयी ऋण राशि के अनुसार आवेदक की पुनर्भुगतान क्षमता (Repayment Capacity) बनती है/ऋण राशि रु. (अक्षरे मात्र) तक की पुनर्भुगतान क्षमता बनती है।
 - (6) आवेदक द्वारा की गयी ऋण मांग उचित प्रतीत होती है/परियोजना आर्थिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम है।
अतः उपरोक्तानुसार आवेदक के पक्ष में ऋण योजनान्तर्गत ऋण राशि (अक्षरे मात्र) की स्वीकृति की सिफारिश की जाती है।

स्थान –

दिनांक –

सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक

शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृति/ऋण स्वीकृत किये जाने की सिफारिश

दिनांक को आवेदक श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री के द्वारा ऋण योजनान्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों एवं ऋण सुरक्षा पेटे रहन रखी जाने वाली कृषि भूमि/अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि/ अचल सम्पत्ति आवेदक के वास्तविक कब्जे में है तथा आवश्यकता पड़ने पर उक्त सम्पत्ति का मुक्त बेचान संभव है/आसानी से विक्रय योग्य है तथा सम्पत्ति की कीमत /मूल्यांकन ऋण सुरक्षा पेटे पर्याप्त है। रिपोर्ट के अनुसार आवेदक की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं साख अच्छी है। मैं सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से पूर्णतया संतुष्ट हूँ/संतुष्टि हेतु मेरे द्वारा समस्त तथ्यों की जांच एवं तहकीकात करली गयी है तथा समस्त तथ्य सही पाये गये हैं।

अतः दिनांक को आवेदक श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री /पत्नी श्री के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शाखा के सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मेरी संतुष्टि/ मेरे द्वारा की गयी जांच एवं तहकीकात के आधार पर उपरोक्त आवेदक/को को ऋण योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति हेतु पात्र पाया गया है एवं उपरोक्तानुसार आवेदक/को के पक्ष में ऋण योजनान्तर्गत राशि रु. (अक्षरे मात्र) का ऋण स्वीकृत किया जाता है/ऋण स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा प्रधान कार्यालय के लिये की जाती है।

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर मय सील

शाखा प्रबन्धक, शाखा

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

वचन पत्र

रुपया -

दिनांक -

मै/हम पुत्र श्री निवासी

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा द्वारा मांग करने अथवा आदेशित किये जाने

पर रुपये (अक्षरे) प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से

..... के आधार पर चुकाने का वचन देता हूँ/देते हैं।

रेवेन्यू स्टाम्प रु. 1

हस्ताक्षर ऋण प्राप्तकर्ता

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU

DEMAND PROMISSORY NOTE

Rs

On Demand I/we S/o Shri

Jointly and severally promise to pay the Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,

or order the sum of Rs (Rupees)

together with interest at the rate of per cent annum with rests for value received.

Place :

Borrower (s) Signature

Date :

1- Name

Address

.....

Revenue
Stamp
Rs. 1/-

2 - Signature

Name

Address

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

अविरल पत्र

शाखा प्रबन्धक,

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

.....

महोदय,

मैं/हम एक वचन पत्र रुपये (अक्षरे रुपयेमात्र)

संलग्न कर अपनी सहमति एवं स्वेच्छा व्यक्त करता हूँ कि यह वचन-पत्र कृषक मित्र ऋण योजना के अन्तर्गत मेरे द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण राशि को प्रत्याभूति स्वरूप माना जावेँ और उपरोक्त वचन पत्र के प्रति उस समय तक उत्तरदायी हूँ/है, जब तक कि उसका चुकता भुगतान नहीं हो जाता है। प्राप्त ऋण राशि के अन्तर्गत असल अथवा ब्याज के रूप में मेरी ओर किसी प्रकार का भी बकाया होने तक इसे ऋण पेटे अविरल प्रत्याभूति के रूप में स्वीकार किया जावेँ।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर ऋण प्राप्तकर्ता

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU
LETTER OF CONTINUITY

Whereas on The Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., (hereinafter called the "Bank") agreed to sanction me/us a cash credit limit / term loan of Rs (Rupees) only on such conditions separately agreed to between me and the Bank and in consideration of the said loan being made I/we have duly signed and delivered to the Bank a Demand Promissory Note for the sum of Rs (Rupees) only Dated

Further, I/we hereby agree to undertake that the said Promissory note for Rs only is to stand and be regarded as continuing security and to be enforceable for all money now are or which may at any time hereafter become due owing of to the Bank on the said loan account.

Place :

Borrower (s) Signature

Date :

1- Name

Address

.....

2 – Signature

Name

Address

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU

REVIVAL LETTER

(To be obtained from the Borrower)

To,
The Manager,
Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,
Branch

Date :

Dear Sir,

With reference to loans aggregating to a sum of Rs.
(Rupees) only which the Bank has granted to me/us in respect of which I/We have executed the agreement dated I/We acknowledge and confirm for the purpose of section 18 of the limitation Act. 1963 and any like limitation law in order to preclude any question of limitation law that I am/we are hereby confirm to be liable to you for the payment of all the outstanding in respect of the loan granted and the said agreement shall remain in full force with all relative securities, agreement and obligations.

Yours faithfully,

Date

(.....

Place

Borrower(s)

Address

.....

उपयोगिता प्रमाण पत्र

मेरे/हमारे पक्ष में शाखा द्वारा ऋण योजनान्तर्गत रु. का ऋण स्वीकृत किया गया है। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस ऋण की सम्पूर्ण राशि रु. (अक्षरे) मात्र का उपयोग उसी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है/किया जावेगा। जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु उक्त ऋण राशि स्वीकृत की गयी है तथा जिन उद्देश्यों का विवरण हमारे द्वारा ऋण आवेदन पत्र में दिया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे/हमारे द्वारा बैंक शाखा में प्रस्तुत किया गया है/कर दिया जावेगा।

स्थान -

आवेदक /को

दिनांक -

हस्ताक्षर मय पता

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

सहमति - पत्र

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा ने को प्रार्थना पर कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत साख सीमा रु. (अक्षरे) तक स्वीकृत करना निश्चित किया है। इसके लिए मुझे निम्न शर्तें मान्य हैं :-

1. बैंक में किसी भी समय उस रकम से अधिक रुपया नहीं मांगा जावेगा जो ऋण के खातेदार या खातों को कुल देय रुपया से अधिक न होगी। परन्तु ऋणी (जो आगे ऋणी के नाम से संबोधित होगा) समस्त रकम के भुगतान के लिए जो कि उसके नाम इस खाते या खातों में भुगतान करने योग्य है, वह उपरोक्त निर्धारित सीमा से चाहे अधिक भी हो देने के लिए बाध्य होगा।
2. बैंक इसके लिए स्वतंत्र होगा कि उक्त सीमा के अन्तर्गत एक या एक से अधिक किशतों में दे या जिस समय के भीतर वह ठीक समझे दें।
3. बैंक किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिये और बिना कोई कारण बताये हुये ऋण देने से मना कर सकती है, चाहे ऋणी ने निर्धारित सीमा रुपये तक ऋण प्राप्त किया है या नहीं।
4. ब्याज वार्षिक के हिसाब से प्रति मासिक/त्रैमास/छःमाही या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयावधि पर उक्त खाते या खातों के प्रतिदिन के शेष पर अन्तिम कार्य के दिन तक लगाया जावेगा।
5. बैंक द्वारा मांग करने पर जो ऋणी द्वारा उक्त खातों के अनुसार ऋण देय है, उसका भुगतान देय तिथि तक ब्याज उपरोक्त दर के अनुसार और अन्य कोई भार व खर्च जो बैंक द्वारा निर्धारित किये गये हैं, अथवा दिये हो का भुगतान भी ऋणी को करना होगा और भार व खर्च आदि के सम्बन्ध में बैंक की किताबें प्रमाणित होगा और ऋणी को उनकी सत्यता बिना किसी पत्र या वाउचर देय मान्य होगी।
6. यदि बैंक को ऋण वसूल करने में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो ऋण वसूल करने के समय तक पूरा व्यय ऋणी द्वारा बैंक को देय होगा एवं साथ ही कानूनी कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में जो व्यय वाद प्रस्तुत करने पर होगा, वह भी ऋणी को देना होगा।
7. सम्बन्धित वचन-पत्र दिनांक को रुपया (अक्षरे) का ऋणी द्वारा बैंक के पक्ष में उस रकम के भुगतान के लिए लिखा गया है जो खातों के अनुसार किसी भी दिन ऋणी पर रहेगा।
8. ऋणी वचन देता है -
 - अ. ऋणी 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत साख सीमा के तहत प्राप्त की गयी ऋण राशि का बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित तिथि के अनुसार ब्याज सहित पूर्णरूपेण चुकारा करता रहेगा।
 - ब. ऋण की रकम उसी/उन्ही कार्य व कार्यों में लगायी जावेगी जिसके लिए वह प्राप्त की गयी है। यदि मेरे द्वारा ऋण राशि का उपभोग अन्य कार्य में लेना पाया जावेगा तो बैंक को मेरी ओर बकाया समस्त ऋण व ब्याज एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।
 - स. ऋण के सम्बन्ध में प्रत्येक झगडा, मतभेद अथवा प्रश्न इस आलेख के सम्बन्ध में इस सहमति पत्र, पार्टियों अथवा उसके द्वारा अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के बीच में होगा, उसकी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को पंच फैसले के लिए देना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में दिया हुआ उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जावेगा पक्षकार उसके लिए पाबंद होंगे।
 - द. ऋणी उपरोक्त ऋण सम्बन्धी वर्तमान में निर्धारित नियमों व शर्तों तथा कालान्तर में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन व परिवर्तन को यथावत मानने के लिए पाबन्द रहेगा।
 - (क) नाबार्ड/बैंक द्वारा भविष्य में यदि ब्याज दर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की गयी तो मुझे मान्य होगी।
 - (ख) बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि जिस अवधि तक प्रभावी रहेगी, उसी अवधि में समस्त प्रकार का लेन-देन, व्यवहार केवल इसी बैंक के साथ करुंगा।
 - (ग) उपरोक्त वर्णित शर्तें एवं इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भविष्य में बैंक हित में लगायी जाने वाली समस्त शर्तें मुझे मान्य होगी।

दिनांक -

स्थान -

गवाह - 1 नाम हस्ताक्षर प्रार्थी वास्ते
पता

गवाह - 2 नाम हस्ताक्षर
पता

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

दृष्टिबन्धक लेख

संख्या -

राशि -

नाम झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., (जिसको आगे बैंक की संज्ञा दी गई है) ने (..... (जिसको आगे ऋणी की संज्ञा दी गई है) को प्रार्थना पर उद्देश्य से ऋण प्रदान की स्वीकृति पर एक खाता रुपये तक का ऋणी के नाम खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालू रहेगा और जिसकी सुरक्षा के लिए सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में बाध्य होना स्वीकार करते हैं) के मध्य निम्नलिखित अनुबन्ध किया जाता है।

1. कि ऋणी सम्मिलित सूचिका में सामान्यतः वर्णित सामान पर, बैंक के पक्ष में प्रथम प्रभार स्थापित करता है ऋणी का यह सामान स्टोर्स, स्टॉक, कच्चा अथवा माल, मशीनरी, फर्नीचर आदि जो भी सामान ऋणी के गोदाम, कार्यालय फौकट्री अथवा अन्यत्र किसी स्थान में भी रखा हुआ अथवा संग्रहित है अथवा भविष्य में हो जो कि खाते की समाप्ति पर अथवा किसी भी समय ऋणी द्वारा बैंक को देय रकम के भुगतान की सुरक्षा हेतु है, वह आगे उप प्राधियत सामान (हाईपोथीकेटेड गुड्स) सम्बोधित किया जावेगा इस अनुबन्ध में वर्णित बैंक को देय रकम के अर्थ में किसी समय भी मूलधन को अवशेष रकम के साथ-साथ निम्न प्रकार उल्लिखित दर से सभी दिन प्रतिदिन का ब्याज व सभी ऋण अथवा दायित्व, जिसका वर्णन आगे चरण (13) में किया गया है वह रकम जो भी उपप्राधियत सामान के सम्बन्ध में अथवा उसको बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा खर्च की जावेगी, समझी जावेगी।
2. कि उपप्राधियत सामान और उसकी बिक्री वसूली एवं इन्श्योरेंस से प्राप्त सभी प्रतिफल एक मात्र बैंक की सम्पत्ति की तरह विशेषतः इस दृष्टिबन्धक हेतु रहेगा और ऋणी उसको अथवा उसके किसी भाग की बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य ऋण की एवज में बन्धक अथवा प्रतिभूति स्वरूप नहीं रखेगा और उस पर अथवा उसके किसी भाग पर कभी किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं होने देगा और न कभी ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे उप प्राधियत सामान अथवा उसकी बिक्री वसूली एवं इन्श्योरेंस से प्राप्त किसी प्रतिफल को हानि पहुंचे अथवा जिस कार्य के लिए बैंक द्वारा लिखित में निषेध किया गया हों।
3. कि ऋणी बैंक का पूर्व स्वीकृति से उप प्राधियत सामान को किसी प्रकार तभी व्यय कर सकता है अथवा बेच सकता है जबकि वह कम से कम उस सामान के मूल्य के बराबर रकम पहले से खाते में जमा करा दे अथवा बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करके उस मूल्य के बराबर अन्य सामान उसके स्थान पर बंधक कर दे।
4. कि ऋणी बैंक के कर्मचारियों अथवा एजेन्ट्स को समय-समय पर अपने गोदामों अथवा उन स्थानों में जहां उप प्राधियत सामान रखा हो, उस सामान को निरीक्षण, देखभाल, मूल्यांकन करने अथवा सूची बनाने हेतु प्रवेश देगा और बैंक अथवा उसके कर्मचारियों को तदर्थ आवश्यक सुविधाएं देगा।
5. कि ऋणी उन गोदामों का अथवा स्थानों का जहां उप प्राधियत सामान रखा हो, किराया एवं कर आदि समय-समय पर अदा करता रहेगा और उनको सब प्रकार भार मुक्त रखेगा।
6. कि उप प्राधियत सामान को आग, चोरी अथवा खराबे के कारण हुई सब प्रकार की क्षति की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी, अतः यह बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनी में बैंक के हित में

उप प्राधियित सामान का आग, चोरी आदि से रक्षार्थ आवश्यक इन्श्योरेन्स करा कर पोलिसियों व किशतों की रसीदें बैंक के नाम करके बैंक द्वारा मांगी जाने पर तुरन्त देगा और यदि ऐसा करेगा, तो तीन दिन बाद बैंक को ऋणी के खर्चे से ऐसा इन्श्योरेन्स कराने का अधिकार होगा, लेकिन बैंक उक्त इन्श्योरेन्स करवाने हेतु बाध्य नहीं होगा तथा इन्श्योरेन्स कवर नहीं होने की स्थिति में होने वाली क्षति के लिये ऋणी स्वयं जिम्मेदार होगा/होंगे।

7. कि उक्त इन्श्योरेन्स के कारण जो कुछ रकम प्राप्त होगी, यह रकम बैंक को देय रकम के भुगतान के लिए काम आयेगी और अधिक होने पर शेष रकम चरण (13) में वर्णित कार्यों में खर्ची जावेगी।
8. कि ऋणी उप प्राधियित सामान के बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य और बैंक को देय रकम के बीच प्रतिशत न्यूनतम अन्तर बैंक के हित में सदैव बनाये रखेगा। यह अन्तर बैंक द्वारा किसी समय निर्धारित मूल्य पर आंका जा सकेगा व अन्तर को सदा रखने के लिए ऋणी या तो नकद रकम खाते में जमा करता रहेगा अथवा उसी मूल्य का अन्य सामान बैंक की लिखित स्वीकृति से उप प्राधियित करता रहेगा।
9. ऋणी इस दृष्टि बन्धक लेख के अन्तर्गत बैंक से प्राप्त समस्त ऋण ब्याज व खर्चे आदि सहित ऋण प्राप्त करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में या योजना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित देय तिथि, जो भी पहले हो चुका देगा/देगे।
- 10 ब्याज की शर्त :-
 - (अ) कि ऋणी बैंक द्वारा उसको उधार दिए गए मूलधन पर प्रतिशत दर से योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा यथा समय निर्धारित तिथि को नकद ब्याज अदा करेगा।
 - (ब) कि बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर ऋणी ने किसी समय बैंक को देय सम्पूर्ण रकम नहीं चुकाई तो वह कुल मांगती रकम पर निर्धारित दर से प्रतिशत अधिक दर से ब्याज का लेनदार होगा।
11. बैंक को देय रकम के भुगतान को उपरोक्त शर्तों का अथवा इस इकरार को किसी शर्त का ऋणी द्वारा उल्लंघन होने पर बैंक के अफसरों अथवा एजेन्ट्स को ऋणी को बिना नोटिस दिये, परन्तु ऋणी के हर्जे और खर्चे और यदि जरूरत हो तो ऋणी के मुख्तार की तरह ऋणों के बजाय अथवा की ओर से उन सभी स्थानों पर जहां उप प्राधियित सामान रखा हो प्रवेश करने का, रहने का, उप प्राधियित सामान को कब्जे में लेने का, वसूल करने का अथवा सम्भाल लेने का अधिकार होगा, इस कार्य के लिए बैंक के किसी अफसर को रिसीवर के रूप में नियुक्त करके निलामी करके, बेचने का व्यक्तिगत करार करके अथवा अन्य प्रकार भी उप प्राधियित सामान या उसके किसी भाग का प्रबन्ध करके बैंक के उपरोक्त अफसरों के द्वारा इस प्रकार इस सम्बन्ध में स्वेच्छा से किसी प्रकार का समझौता करके, हिसाब करके, वसूली करके अथवा अन्य किसी प्रकार सौदा बेचने से प्राप्त रकम को देय किसी रकम के भुगतान के लिए ले सकता है मगर बैंक अपने उक्त अधिकारों के उपयोग के कारण हुए किसी खर्चे का अथवा हर्जे का जिम्मेवार नहीं होगा तथा उक्त खर्चे ऋणी द्वारा वहन किये जावेंगे। बैंक अपने अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायालय से अथवा राजस्थान को-ऑप. सोसायटी एक्ट 1965, 2001 व 2003 अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विधिक सहायताएँ भी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, ऋणी करार करता है कि वह बैंक द्वारा रखे गये गिरवी सामान के बेचने के हिसाब को सही मानकर खाते में बाकी रही कमी को पूरा करने का स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होगा।
12. कि यदि उपरोक्त प्रकार बेचान से प्राप्त रकम उस वक्त खाते के हिसाब में बाकी रकम के चुकती भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो बैंक ऋणी का अथवा उनमें से किसी का वहन धन जो बैंक के उस वक्त आधीन हो, उक्त खाते के हिसाब में बाकी को देय रकम के भुगतान में ले सकता है और यदि बैंक के अधीन ऐसा कोई धन न हो और यदि हो तो वह भी चुकती भुगतान के लिए अपर्याप्त हो तो ऋणी वादा करता है और करार करता है कि वह चरण (14) में उल्लिखित सभी प्रकार से

रखे जाने वाले उस हिसाब पर अदायगी के वादे को स्वीकृति में अपने दस्तखत कर देगा, किन्तु इससे बैंक के खाते में किसी भी बाकी देय रकम की वसूली करने के संबंध में बैंक की उपरोक्त स्वीकृति से उसके किसी अधिकार पर न तो कोई विपरीत प्रभाव होगा न ऐसे अधिकारों में कमी आवेगी, चाहे सारा अथवा अंशतः कोई उपप्राधियित सामान ही क्यों न उपलब्ध हों।

13. कि उक्त प्रकार से प्राप्त शुद्ध आय में से यदि बैंक को देय सभी रकम के चुकती भुगतान के बाद कुछ शेष रहे, तो भी वह भी बैंक ऋणों अथवा उनमें से किन्ही के, अधीन अन्य खातों को रकम के साथ-साथ बैंक के प्रति ऋणी अथवा उनमें से किन्ही के विरुद्ध व्यक्तिगत अथवा सम्मिलित रूप से अब शेष किन्ही और लोन्स, डिसकाउटेण्ट, लेटर्स ऑफ गारन्टीज चार्जज चालू या देय, अन्य ऋण दायित्व वैधिक या सामयिक सब प्रकार की जिम्मेदारियों सहित चाहे ऋणी दिवालिया करार दिया जा चुका हो अथवा दिया जावे या किसी प्रकार लिक्विडेशन में हो तो भी, ब्याज सहित चुकती भुगतान करने में लगा सकता है।
14. कि ऋणी इकरार करता है कि वह बैंक के एकाउन्टेंट अथवा अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये हुए उस हिसाब को, जिसके द्वारा ऋण का देय रकम की मांग की जावें, बिना किसी बाउचर, दस्तावेज अथवा अन्य लिखावट दिखाने को मांग किये सही मानेगा।
15. कि यह इकरार समय-समय पर अथवा बैंक को अन्तिम देय रकम की सुरक्षा में सदैव प्रतिभूति स्वरूप कायम रहेगा और खाते में समय देय रकम की जमा के उपरान्त भी प्रतिभूति अथवा उप प्राधियित सामान इसी प्रकार तब तक सुरक्षित समझा जावेगा जब तक कि बैंक लिखित में इस इकरार को समाप्त नहीं कर देगा।
16. कि ऋणी घोषित करता है/करते है कि उप प्राधियित सामान ऋणी की एकमात्र सब प्रकार के भार से पूर्ण मुक्त सम्पति है और आयन्दा भी सामान उसके अन्तर्गत आयेगा वह भी इस प्रकार भार मुक्त होगा कि ऋणी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है/नहीं किया जावेगा अथवा ऐसे कार्य में भाग नहीं लिया है/नहीं लिया जावेगा अथवा ऐसे किसी आवश्यक कार्य को करने में भूल-चूक नहीं की है/नहीं की जावेगी, जिससे कि उक्त उप प्राधियित सामान अथवा उसमें से कुछ वे बन्धक नहीं रख सकें और प्रतिज्ञा करते है कि बैंक के चाहने पर वह सब कार्य खर्च से करेगें जिससे कि इस इकरार का बैंक के हित में अक्षरशः सही प्रकार पालन हो सके अथवा इकरार के पालन में बैंक को सुविधा हो।
17. कि यदि ऋणी फर्म है अथवा सदस्य है तो फर्म के नाम व विधान में इस इकरार की अवधि तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा जिससे कि ऋणी अथवा उनमें से वर्तमान दायित्व में कमी हो जावे अथवा दायित्व से छुटकारा मिलता हों।

इस दृष्टिबन्धक लेख की साक्षी में आज दिनांक की ऋणी ने निम्न गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये है कि सनद और समय पर काम आवें।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर ऋणी मय पता

गवाह - 1

2

जमानत बाबत सहमति पत्र

श्रीमान शाखा प्रबन्धक,

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

शाखा ।

विषय :- श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

..... निवासी गांव

को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण को जमानत बाबत ।

महोदय,

निवेदन है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

..... निवासी को कृषक मित्र

सहकारी/ऋण/योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे ऋण के लिए मैं इनकी जमानत लेने

के लिए अपनी सहमति देता/देती हूं। मैं का स्थायी निवासी हूं।

मेरे स्वामित्व में सम्पत्ति है, जिसकी बाजार भाव से कीमत लगभग

रुपये है। ऋणी द्वारा ऋण पेटे बकाया असल राशि एवं ब्याज का चुकारा न करने अथवा किसी अनियन्त्रित

परिस्थितिवश उसकी ओर ऋण बकाया रहने की अवस्था में बैंक को अधिकार होगा कि समस्त बकाया राशि

मेरी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें।

दिनांक :

नाम जमानतदार

स्थान :

हस्ताक्षर

स्थायी पता

.....

.....

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU

Letter of Lien and Set-off

To,
The Manager,
Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,
Branch

Date :

Dear Sir,

In consideration of your making advances to me/us and/or giving banking accommodation and facilities by way of loan/overdraft/cash or any other credit from time to time. I/we agree with you as follows :-

1. That you may hold all securities belonging to me/us which may be in your possession or which may at any time here after come into your possession and the proceeds thereof respectively not only for the specific advance made thereof but also as collateral security for any other moneys now due or which may at any time be due from me/us to you whether severally or jointly with on other or others.
2. That in addition to any general similar right to which you as bankers may be entitled by law. You may at any time and without notice to me/us combine or consolidate all or any of my /our accounts with and liabilities to you and set off and transfer any sums standing to the credit of any one of such accounts in or towards satisfaction of my/our liabilities to you, on any other account or in to the credit of any other respect, whether such liabilities be actual or contingent, primery or collateral and several or joint.
3. That if any balance of the sale proceeds shall remain in the hands of the bank after the sale of any of the securities the bank may at its sole discretion apply the balance if any towards any sum or sums of money that may be owing by me/us to the bank upon any other account or any other transaction or transactions separate or distint from the security, and you will pay to me/us any surplus which may remain after settlement of claims of your against me/us.

At this day of

Date

Place

Yours faithfully,

(.....)

Borrower(s)

Address

.....

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU
NOMINALL MEMBERSHIP FORM FOR
APPLICANT/COAPPLICANT

The Managing Director
 Jhunjhunu Central Co-operative Bank Ltd
 Gandhi chowk Jhunjhunu (Raj)

SUB- NOMINAL MEMBERSHIP FORM FOR APPLICANT/COAPPLICANT

Dear Sir,

I want to avail a loan under Scheme from the bank's Branch

You are requested to please enroll me as nominal member of the bank. I am depositing Rs. 11/- (Rupees Eleven Only) only as membership fee and Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) as fixed deposit I have read the rules and regulations of the bank and the same shall be binding on me.

Yours faithfully ,

Place :-

Signature :-

Name :-

Date :-

Address :-

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU
NOMINALL MEMBERSHIP FORM FOR GUARANTOR

The Managing Director
 Jhunjhunu Central Co-operative Bank Ltd
 Gandhi chowk Jhunjhunu (Raj)

SUB- NOMINAL MEMBERSHIP FORM FOR GUARANTOR

Dear Sir,

I want to offer my personal guarantee for a loan from the bank's

Branch under Scheme in favour of Shri

You are requested to please enroll me as nominal member of the bank. I am depositing Rs. 11/- (Rupees Eleven Only) only as membership fee and Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) as fixed deposit I have read the rules and regulations of the bank and the same shall be binding on me.

Yours faithfully ,

Place :-

Signature :-

Name :-

Date :-

Address :-

आवेदक/को द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सहमति पत्र

मै/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी ऋण
योजनान्तर्गत झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., की शाखा से ऋण लेना चाहता
हूँ/चाहती हूँ/चाहते है। इस ऋण योजना के समस्त नियमों एवं प्रावधानों को मैने/हमने अच्छी तरह से
पढ़ एवं समझ लिया है। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानों, स्वीकृत पत्र में निर्धारित शर्तों तथा बैंक
द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु मै/हम पूर्ण रूप से सहमत है तथा
उक्त प्रावधानों एवं शर्तों की पालना मेरे/हमारे द्वारा की जावेगी।

स्थान –

आवेदक /को

दिनांक –

हस्ताक्षर मय पता

जमानतदार/रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला सहमति पत्र

मै/हम बैंक की ऋण योजनान्तर्गत
श्री/श्रीमती को बैंक की शाखा द्वारा उपलब्ध करवाये जाने
वाले ऋण की व्यक्तिगत जमानत दिया जाना स्वीकार करता हूँ/करती हूँ/करते है। इसे इस ऋण योजना
के समस्त नियमों एवं प्रावधानों को मैने/हमने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है। योजनान्तर्गत बैंक
द्वारा निर्धारित प्रावधानों, स्वीकृति पत्र की शर्तों तथा जमानत नामे में वर्णित तथ्यों तथा बैंक द्वारा
समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु मै/हम पूर्ण रूप से सहमत है तथा उक्त
प्रावधानों एवं शर्तों की पालना मेरे/हमारे द्वारा की जावेगी।

स्थान –

आवेदक /को

दिनांक –

हस्ताक्षर मय पता

अनुलग्नकों का विवरण :- (कृपया सही का निशान लगायें)

भाग (अ) – (आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने हैं)

क. आवेदक/सह-आवेदक का विवरण –

1. आवेदक/सह-आवेदक की फोटो।
2. कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज यथा नवीनतम जमाबंदी, गिरदावरी व नक्शा, खातेदारी प्रमाण पत्र एवं भूमि बिक्री के गत तीन वर्ष के आकड़े।
3. केवाईसी नार्म्स की अनुपालना हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा –
 - निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय-पत्र की फोटोकॉपी।
 - ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोप्रति।
 - पैन कार्ड की फोटोप्रति।
 - बिजली/पानी/टेलीफोन बिल की छायाप्रति।
 - किसी सरकारी संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र की छाया प्रति।

ख. जमानतदार का विवरण –

1. पैन कार्ड की प्रति/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र की फोटोप्रति।
2. निवास प्रमाण पत्र/टेलीफोन/बिजली/पानी के बिल की फोटोप्रति।

अनुलग्नकों का विवरण

भाग (ब) – (ऋण की स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत करने हैं)

1. आवेदक/सह आवेदक की फोटो (प्रत्येक की)
2. जमानतदार की फोटो।
3. नोमिनल सदस्यता का फार्म।
4. मांग वचन पत्र/समय वचन पत्र।
5. सहमति पत्र।
6. लैटर ऑफ कन्टीन्यूटी।
7. रिवाईवल लैटर।
8. दृष्टिबंधक विलेख पत्र।
9. ऋण अनुबन्ध पत्र – 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर।
10. बैंक को मान्य जमानतदारों के प्रतिभूति विलेख – 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर।
11. सावधि जमा पत्र – 1000/- प्रत्येक (आवेदक तथा जमानतदार)
12. नॉमिनल सदस्यता शुल्क रुपये 10/- प्रति सदस्य।
13. यूजेन्स सर्टीफिकेट।

(10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

मै/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र वर्ष, जाति
..... ग्राम पोस्ट तहसील जिला

का/की निवासी हूँ/है –

1. मै/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते है कि प्रार्थी के नाम गांव के खसरा न. तहसील में बीघा/एकड़/हेक्टर खातेदारी/गैर खातेदारी भूमि है जिसका प्रार्थी अकेला मालिक व काबिज है।
2. मै/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते है कि मै/हम बैंक से फसल उत्पादन हेतु फसली ऋण लेना चाहता हूँ।
3. मै/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते है कि प्रार्थी/यो द्वारा प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में सात दिवस या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयावधि के लिये अधिकतम बकाया राशि को शून्य करूंगा, समय अवधि में 7 दिवस या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयावधि के लिये अधिकतम बकाया राशि को शून्य न करने पर बैंक को अधिकार होगा कि बैंक प्रार्थी की भूमि को ऋण सीमा तक अपने अधिकार में लेकर/ठेके पर देने पर/भूमि का कब्जा कर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम- 2001 एवं 2003 के अन्तर्गत धारा 99/100 के अन्तर्गत वसूली करें, जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के उत्तराधिकारी आदि को कोई उज्रवस्तराज नही होगा।
4. मै/हम हल्फीया बयान करता हूँ/करती हूँ/करते है कि प्रार्थी/यों द्वारा झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक से कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना के तहत साख सीमा रुपये (अक्षरे मात्र) पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करवायी गई है/करवायी जावेगी।
5. मै/हम हल्फीया बयान करता हूँ/करती हूँ/करते है कि साख सीमा जारी रहने तक समस्त लेन-देन बैंक के माध्यम से करूंगा/करूगी/करेंगे।
6. मै/हम हल्फीया बयान करता हूँ/करती हूँ/करते है कि उत्पादित फसल पर समस्त ऋण राशि चुकता होने तक बैंक का प्रथम प्रभार मानने के लिये सदैव पाबन्द रहूंगा/रहूगी/रहेगें।
7. मै/हम शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते है कि शपथ पत्र के मद सं. 1 से 6 तक प्रार्थी की व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। कोई तथ्य छुपाया, घटाया या बढ़ाया नही है।

दिनांक –

स्थान –

प्रार्थी/यो के हस्ताक्षर मय पता

ऋण अनुबन्ध (ON NON JUDICIAL STAMP)

(100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

आज दिनांक को श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
 जाति उम्र वर्ष, निवासी (जिसे ऋणी
 सदस्य सम्बोधित किया गया है) एवं झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा जिसे
 वित्तीय बैंक सम्बोधित किया गया है जरिये शाखा प्रबन्धक के बीच निम्न शर्तों का ऋण अनुबन्ध पत्र
 निष्पादित किया जाता है :-

1. यह है कि वित्तीय बैंक ने ऋणी को रु. (अक्षरे रु.)
 की साख सीमा कृषक मित्र योजनान्तर्गत दिनांक तक की अवधि के लिए स्वीकृत की है।
2. यह है कि ऋण ऋणी को उपलब्ध कराये गये ऋण पर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
 दैनिक आधार पर बकाया राशि पर बैंक ब्याज वसूल करेगा, जो कि योजना के प्रावधानों के अनुसार
 निर्धारित देय तिथि को जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. यह कि निर्धारित अवधि में राशि न चुकाने पर बैंक ऋणी से प्रतिशत अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज
 वसूल करेगा।
4. यह है कि यदि ऋणी सदस्य समय पर देय राशि जमा न करवा पाने की दशा में राजस्थान सोसायटी
 अधिनियम, 2001 एवं 2003 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
5. यह है कि समय-समय पर इकाई का निरीक्षण नाबार्ड/शीर्ष बैंक/सहकारी विभाग के अधिकारियों एवं
 उनके द्वारा अधिकृत किसी ऐजेन्ट के किया जा सकेगा। इसमें आपको सहयोग करना होगा या निरीक्षण
 में ऋणी द्वारा ऋण का दुरुपयोग पाया जाता है तो बैंक समस्त ऋण एकमुश्त वसूल करने का स्वतन्त्र
 होगा।
6. यह है कि प्रत्येक वर्ष फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम राशि पर होने वाला व्यय एवं सहकार जीवन
 सुरक्षा योजनान्तर्गत बकाया ऋण एवं दुर्घटना बीमा भी पृथक से ऋणी द्वारा ऋणी के व्यय पर कराया
 जाना आवश्यक होगा। उक्त प्रकार की बीमा बैंक में समय-समय पर प्रचलित नियमों के तहत किया
 जावेगा लेकिन बैंक इस हेतु बाध्य नहीं होगा तथा बीमा कवर उपलब्ध नहीं होने के वजह से होने वाली
 क्षति के लिये ऋणी स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. यह है कि बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं संशोधित ब्याज दर ऋणी को मान्य होगी।
8. यह कि उक्त साख सीमा दिनांक को देय है, साख सीमा के नवीनीकरण न कराने/इस
 दिवस तक राशि जमा न कराने पर खाता अवधिपार हो जावेगा।
9. यह कि ऋणी द्वारा प्रथम वर्ष तहसील से जमाबन्दी की प्रति जिस पर बैंक का भार दर्ज अंकित हो, की
 प्रति बैंक को प्रस्तुत करने पर ही आगामी वर्ष के लिए साख सीमा का नवीनीकरण किया जावेगा।
10. यह कि ऋणी द्वारा वर्ष में एक बार अथवा योजना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार देय तिथि को समान
 बकाया राशि चुका कर खाता शून्य करना होगा, इस आधार पर आगामी वर्ष के लिए खाते का
 नवीनीकरण किया जा सकेगा।
11. यह है कि प्रार्थी द्वारा झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., से कृषक मित्र योजना में साख सीमा के तहत .
 रुपये की साख सीमा 3 वर्ष के लिए स्वीकृत करवायी गयी है।
12. यह है कि मैं/हम हल्फीया बयान करता हूँ कि साख सीमा जारी रहने तक समस्त लेनदेन ग्राम सेवा
 सहकारी समिति/बैंक के माध्यम से करूंगा।
13. यह है कि मैं/हम हल्फीया बयान करता हूँ कि उत्पादित फसल एवं भूमि पर समस्त ऋण राशि चुकता
 होने तक बैंक का प्रथम प्रभार मानने के लिए सदैव पाबंद रहूंगा।
14. यह है कि मैंने किसी अन्य वित्तीय संस्था से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं ले रखा है।
15. यह है कि मैं/हम हल्फीया बयान करता हूँ कि हल्फनामा हाजा सच व सही लिखाया है।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

दिनांक -

स्थान -

प्रमाणित

नोटेरी पब्लिक

ऋणी

गवाह -

1.

2.

बैंक अधिकारी

जमानतदार से भरवाया जाने वाला शपथ पत्र/जमानतनामा

(100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

1. मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति
निवासी तहसील जिला झुंझुनू सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे नाम से निम्नलिखित अचल सम्पतियां हैं जिसका मैं एकमात्र स्वामी हूँ व निम्न अचल सम्पतियां सभी प्रकार के प्रभारों से भारमुक्त हैं तथा मेरे स्वामित्व में हैं :-

क्र.स.	विवरण अचल सम्पति	मार्केट वैल्यू
1.		
2.		
3.		

2. श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी जाति ग्राम जिला ने झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., से ऋण रुपये का आवेदन किया है तथा उक्त आवेदन के क्रम में बैंक द्वारा ऋण योजनान्तर्गत रु. का ऋण स्वीकृत किया/किया जाना स्वीकार किया है। इस ऋण पेटे में इनकी जमानत देना स्वीकार करता/करती हूँ।
3. मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती उक्त बैंक को ऋण की देय ड्यू किश्त मय ब्याज समय पर जमा कराने में दोषी रहता/रहा है या किसी अनियंत्रित परिस्थिति वश ऋण चुकाने में दोषी रहता है तो बकाया किश्त व ब्याज में उक्त नाम की ओर से मैं उक्त समस्त प्रकार के बकाया को जमा कराने का दायित्व लेता/लेती हूँ।
4. मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि किसी कारण वश उक्त ऋण की वसूली नहीं होने पर बैंक को अधिकार होगा कि मेरी चल/अचल सम्पति को कुर्क एवं नीलामी कर बकाया राशि व ब्याज व अन्य वसूली खर्च वसूल कर लेवे। जब तक उक्त ऋण खाते में किसी भी प्रकार का बकाया रहेगा तब तक इस बकाया पेटे मेरी जमानत रहेगी एवं जब तक मैं उक्त वर्णित सम्पति को खुर्द-बुर्द नहीं करूंगा/करूगी।
5. मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त ऋण योजना के समस्त नियमों, प्रावधानों एवं स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों को मैंने अच्छी तरह समझ एवं पढ़ लिया है तथा मैं इनका पालन करने के लिये सहमत हूँ।
6. मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि योजना के समस्त नियमों, प्रावधानों एवं स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों तथा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्णरूपेण पालना करूंगा/करूगी।
7. मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरी यह जमानत शर्तरहित एवं अप्रतिसंहरणीय (Unconditional and Irrevocable) है तथा ऋण की कोई भी राशि बकाया रहने तक रहेगी।
8. मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि उक्त घोषणा पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान एवं विश्वास से सही व सत्य हैं। इसमें झूठ कुछ भी नहीं है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर जमानतदार

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

प्रमाण पत्र

हम घोषणाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उक्त घोषणा एवं जमानत का इकरार श्री
..... उम्र निवासी जाति
..... ने आज दिनांक को स्थान पर हमारे समक्ष किया
है एवं हस्ताक्षर किये हैं तथा इसके द्वारा जो अचल सम्पत्ति दर्शायी है, जिसे हम प्रमाणित करते हैं।
इसके लिये श्री ने पहचाना।

गवाह – 1

2

विषय :- भूमि खातेदारी प्रमाण पत्र

- 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... जाति ग्राम पटवार
हल्का/मण्डल जो आपके बैंक से ऋण लेने के इच्छुक है, निम्न लिखित
खसरा नम्बरों की भूमि के खुद खातेदार एवं ग्राम की खाता/खतौनी संख्या
..... में खुद काश्तकार है और अतिक्रमी (ट्रेस पासर) नहीं है।

क्र.स.	खसरा नं.	रकबा हैक्ट. /एकड़	कृषि भूमि का प्रकार	क्र.स.	खसरा नं.	रकबा हैक्ट. /एकड़	कृषि भूमि का प्रकार

- नोट – प्रार्थी का उपरोक्त खातेदारी में हिस्सा है एवं इनके स्वामित्व में कुल
हैक्टर/एकड़ कृषि भूमि है एवं उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि –
- इस प्रमाण पत्र के साथ दिया गया भूमि का नक्शा सही है और इस पर मैंने सही होने का प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।
 - रेवेन्यू रिकार्ड एवं मेरी स्थानीय जानकारी अनुसार उपरोक्त भूमि समस्त भार से मुक्त है और इस पर उपरोक्त आवेदक के अलावा किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है।
 - उपरोक्त प्रार्थी पर किसी प्रकार का सरकारी मुतालबा तथा तकाबी आदि कागजात पटवार में बकाया नहीं है।
 - प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि किसी भी भूमि सिलिंग कानून से प्रभावित नहीं है।
 - यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पटवार हल्का/मण्डल में सिंचित भूमि का मूल्य प्रति हैक्टर रु. एवं असिंचित भूमि का मूल्य प्रति हैक्टर रु. है।

दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी मय सील

स्थान

हल्का तहसील

हस्ताक्षर मय सील

तहसीलदार

कार्यालय सब रजिस्ट्रार/तहसीलदार

भूमि बिक्री के तीन वर्षों के आकड़ों के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/
पत्नी श्री ग्राम पटवार हल्का तहसील
जिला के स्वामित्व में निम्न प्रकार की कृषि भूमि है।

क्र.स.	कृषि भूमि का प्रकार	रकबा	ग्राम जिसमें भूमि स्थित है
1	सिंचित		
2	असिंचित		
3	कुल		

संबंधित ग्राम पटवार हल्का/मण्डल जिसमें उक्त भूमि
स्थित है, के राजस्व रिकार्ड के अनुसार गत तीन वर्षों में उक्त प्रकार की भूमि की औसत बिक्री दर निम्न
प्रकार है –

क्र.स.	कृषि भूमि का प्रकार	गत तीन वर्षों की औसत वर्षवार बिक्रीदर (प्रति हैक्टर/एकड़)		
		वर्ष –	वर्ष –	वर्ष –
1	सिंचित			
2	असिंचित			

दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी मय सील

स्थान

हल्का तहसील

हस्ताक्षर मय सील

तहसीलदार

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

शाखा

क्रमांक :-

दिनांक :-

श्री

पुत्र श्रीजाति

निवासी

विषय :- कृषक मित्र ऋण योजना के अन्तर्गत साख सीमा स्वीकृति पत्र।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पत्र दिनांक को स्वीकार करते हुए आपके पक्ष में कृषक मित्र ऋण योजना के अन्तर्गत साख सीमा रु. निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है।

1. आपको अपने क्षेत्र की समिति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र तथा नियमानुसार हिस्सा राशि जमा होने का प्रमाण पत्र ऋण वितरण से पूर्व शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
2. यह साख सीमा दिनांक से तक की अवधि के लिए स्वीकृत की जाती है।
3. इस ऋण पर प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा जो परिवर्तनीय है। ऋण अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूल किया जावेगा।
4. ऋण अग्रिम से पूर्व आपको अपनी कृषि भूमि क्षेत्रीय तहसीलदार के पास बैंक के पक्ष में रहन करवानी होगी।
5. ऋण अग्रिम से पूर्व बैंक को स्वीकार्य दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे एवं आपको तथा जमानतदारों को नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
6. स्वीकृत साख सीमा का उपयोग तक किया जा सकेगा तथा 30 जून से पूर्व समस्त राशि मय ब्याज जमा करवानी होगी। यदि नवीनीकरण आगामी वर्ष के लिए आवश्यक है तो आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नवीनीकरण करवाये। साख सीमा का नवीनीकरण करने हेतु प्रतिवर्ष 15 जून से पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। नवीनीकरण नहीं करवाये जाने की दशा में खाते को अवधिपार माना जावेगा।
7. यदि आप द्वारा किसी शर्त का पालन नहीं किया गया तो शाखा को आपकी ओर बकाया समस्त राशि एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।
8. आपको बैंक, शीर्ष बैंक, नाबार्ड एवं सहकारी विभाग द्वारा समय-समय पर इस योजना के नियमों एवं प्रावधानों में किये गये संशोधनों/परिवर्तनों को मानना होगा।
9. स्वीकृत साख सीमा का लेनदेन बैंक के माध्यम से करना आवश्यक होगा।
10. सरकार/बैंक द्वारा निर्धारित बीमा योजनाओं में बीमा किया जाना अनिवार्य होगा। बीमा नहीं करवाने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
11. यदि आपको उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हों तो अपनी लिखित सहमति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

शाखा प्रबन्धक

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, प्रधान कार्यालय बैंक।
2. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा
3. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

शाखा प्रबन्धक

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

क्रमांक :- जेकेएसबी/

दिनांक :-

श्री देवकरण/सुरजाराम एवं छोटी देवी,

ग्राम घोडीवारा कला तह नवलगढ़ जिला झुंझुनू ।

विषय :- कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत साख सीमा स्वीकृति पत्र ।

महोदय,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए आपके पक्ष में कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत साख सीमा रु. 300000/- (अक्षरे तीन लाख रु. मात्र) निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है ।

1. आपको अपने क्षेत्र की समिति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र ऋण वितरण से पूर्व शाखा में प्रस्तुत करना होगा ।
2. यह साख सीमा स्वीकृति दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत की जाती है। अधिकतम साख सीमा का संचालक बैंक पत्रांक जेकेएसबी/आवि/2822-2847 दिनांक 25.05.11 में वर्णित संशोधित प्रावधानानुसार किया जाना आवश्यक होगा ।
3. इस ऋण पर 7.00 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा जो परिवर्तनीय है। ऋण अवधिपार होने की दशा में नियमानुसार दण्डनीय ब्याज वसूल किया जावेगा ।
4. ऋण अग्रिम से पूर्व आपको अपनी कृषि भूमि क्षेत्रीय तहसीलदार के पास बैंक के पक्ष में रहन करवानी होगी। ऋण अग्रिम से पूर्व बैंक को स्वीकार्य दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे एवं आपको तथा जमानतदारों को नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा ।
5. स्वीकृत साख सीमा का उपयोग 5 वर्ष तक किया जा सकेगा तथा 30 जून से पूर्व समस्त राशि मय ब्याज जमा करवानी होगी। यदि नवीनीकरण आगामी वर्ष के लिए आवश्यक है तो आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नवीनीकरण करवाये। साख सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धित की जा सकेगी लेकिन योजनान्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा रु. 3.50 लाख से अधिक नहीं हो सकेगी। साख सीमा का नवीनीकरण करने हेतु प्रतिवर्ष 15 जून से पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। नवीनीकरण नहीं करवाये जाने की दशा में खाते को अवधिपार माना जावेगा ।
6. यदि आप द्वारा किसी शर्त का पालन नहीं किया गया तो शाखा को आपकी ओर बकाया समस्त राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा ।
7. आपको बैंक, शीर्ष बैंक, नाबार्ड एवं सहकारी विभाग द्वारा समय-समय पर इस योजना के नियमों एवं प्रावधानों में किये गये संशोधनों/परिवर्तनों को मानना होगा। शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर मांगा गया दस्तावेज शाखा में प्रस्तुत करना होगा ।
8. क्षेत्र में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं का अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करना होगा ।
9. स्वीकृत साख सीमा का लेनदेन बैंक के माध्यम से करना आवश्यक होगा ।
10. ऋण से अर्जित सम्पत्ति का बीमा बैंक तथा ऋणी के संयुक्त नाम से अनिवार्यत करवाना होगा। बीमा नहीं करवाने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सहकार जीवन सुरक्षा योजना, फसल बीमा योजना आदि योजनाओं के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।
11. यदि आपको उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हो तो अपनी लिखित सहमति संबंधित शाखा को प्रस्तुत करें।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक ।
2. शाखा प्रबन्धक, शाखा मुकुन्दगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशांषा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये विभिन्न ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावें।
3. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा ।
4. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., ।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।
2. शाखा प्रबन्धक, शाखा चिड़ावा को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बिजली का बिल स्वयं आवेदक के नाम नहीं है। अतः बिल प्रस्तुतकर्ता से पानी उपलब्ध करवाने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त किया जावे तथा भूमि की सिंचितता के संबंध में पूर्णतः संतुष्टि उपरान्त तथा योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये विभिन्न ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावे।
3. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा
4. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

2. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।
2. शाखा प्रबन्धक, शाखा अलसीसर को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये विभिन्न ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावे।
3. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा
4. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

प्रबन्ध निदेशक